[2021] 2 एस. सी. आर. 545

एन. सुब्रमण्यन

वी.

मेसर्स अरुना होटल्स लिमिटेड। & एएनआर।

(2019 की सिविल अपील संख्या 187)

03 मार्च, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन, बी. आर. गवई और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 9-वेतन का बकाया-का दावा-अपीलार्थी ने यू// आवेदन दायर किया 2016 संहिता की धारा 9 में कहा गया है कि रु. वर्ष 1998 से 2013 तक उनके वेतन का बकाया होने के कारण उन पर 18.7 करोड़ रुपये बकाया थे।

उन्होंने आगे कहा कि मूल राशि रु। 1.06 करोड़ों की राशि स्वीकार किए जाने पर, प्रवेश के लिए एक मामला बनाया गया-राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने एन. सी. एल. टी. के आदेश को दरकिनार कर दिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दिनांकित एक पत्र का उल्लेख किया और कहा कि अपीलार्थी के दावे का निपटारा उस पत्र के परिणामस्वरूप किया गया था-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी कंपनी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का दावा समय से प्रतिबंधित है-पर अपील की गईः तथ्य यह है कि अंतिम पावती की तारीख से लेकर एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिका दायर करने की तारीख यानी आई. डी. 1 तक, तीन साल नहीं बीत चुके हैं-इसलिए, कम से कम कॉर्पोरेट ऋणदाता के तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा की गई स्वीकृति की सीमा तक, आई. डी. 2 से कम से कम 3 साल पहले की अवधि के लिए वेतन का बकाया देय होगा।

निश्चित रूप से यह सीमा के भीतर होगा, और इसलिए अपीलार्थी को देय होगा-कर्मचारी भविष्य निधि पत्र दिनांक 13.04.2016 केवल एक लाल-हेरिंग था, और इसका वेतन के बकाया से कोई लेना-देना नहीं है जिसका भुगतान किया जाना था-यह मामला होने के कारण, एनसीएलटी का निर्णय इन शर्तों को स्वीकार करने में सही है। 9 अपीलार्थी द्वारा आवेदन-नतीजतन, एन. सी. एल. टी. निर्णय को फाइल में बहाल कर दिया जाता है-विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय को तदनुसार दरकिनार कर दिया जाता है।

[2021] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 187

2019 का 2017 के सी. ए. (ए. टी.) (दिवाला) सं. 290 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 16.07.2018 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील डायरी सं। 34841 , 34836 , 34839 2018 का

रितिन राय, मोहन परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. शांतनम स्वामीनाथन, कार्तिक मल्होत्रा, सुश्री अभिलाषा श्रवण, श्रीमती आरती राजन, ए. कार्तिक, सुश्री अदिति दानी, अश्विन कुमार डी. एस., विष्णु कुमार, सुरभी मेहता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

आर. एफ. नरीमन, जे.

सिविल अपील सं। 187 2019 का

1. हस्तक्षेप के लिए 2019 का आई. ए. सं. 163654 खारिज कर दिया गया है।

2. वर्तमान अपील कॉर्पोरेट देनदार के एक पूर्व कर्मचारी, यानी प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी द्वारा दायर की जाती है। अपीलार्थी

01.01.1983 पर व्यक्तिगत सहायक के रूप में कॉर्पोरेट देनदार में शामिल हुए, और पिछले कुछ वर्षों में प्रबंधक सहित कई पदोन्नति प्राप्त की।

प्रशासन। 2013 में सेवा छोड़ने से पहले उनका अंतिम पदनाम जनसंपर्क प्रबंधक था।

3. यह अपील एक आवेदन से उत्पन्न होती है जो अपीलार्थी द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ["आई. बी. सी".] दिनांक 21.07.2017 की धारा 9 के तहत की गई थी। इस आवेदन में, अपीलार्थी ने कहा कि रु। वर्ष 1998 से 2013 तक, जब वे सेवा से सेवानिवृत्त हुए, उनके वेतन का बकाया होने के कारण उन पर 18.7 करोड़ रुपये का बकाया था और देय बकाया की कई स्वीकार्यताएं दी गई हैं, जिनमें से अंतिम राशि कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांकित एक पत्र द्वारा दी गई थी। निगमित देनदार ने किसी भी दायित्व से इनकार करते हुए उपरोक्त धारा 9 के आवेदन का जवाब दिया और किसी भी मामले में कहा कि अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे समयबद्ध हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ["एन. सी. एल. टी".] ने अपने फैसले में दिनांक 17.11.2017, तथ्यों को निर्धारित करने के बाद और विशेष रूप से, दिनांक 30.09.2014 के देयता पत्र की पावती को निर्धारित करने के बाद,

बता दें कि रुपये की मूल राशि। 1.06 करोड़ स्वीकार किए जा रहे हैं, एक मामला एन. सुब्रमण्यन बनाम।

प्रवेश के लिए तैयार किया गया है। इसने एक निश्चित "भुगतान वाउचर" का भी उल्लेख किया (जिस पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था)

कंपनी), यह कहते हुए कि यह वाउचर केवल एक लाल-हेरिंग था, और किसी भी मामले में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। एन. सी. एल. टी. के अनुसार, उक्त वाउचर को नंगी आंखों से देखने से भी पता चलता है कि अपीलार्थी का नाम उस व्यक्ति से अलग किसी व्यक्ति द्वारा भरा गया है जिसने एक अलग लिखावट में भरा है-कि भुगतान की गई राशि वेतन के बकाया के "पूर्ण और अंतिम" निपटान में है। यह भी माना गया कि यह भुगतान वाउचर केवल 6 महीने के वेतन के बकाया भुगतान का प्रमाण था, जिसका भुगतान नियत तारीखों पर नहीं किया गया था, लेकिन जिसका भुगतान एक बार में किया गया था। किसी भी स्थिति में, एन. सी. एल. टी. ने माना कि यह वाउचर अपीलार्थी के दावे का हिस्सा नहीं था।

4. एन. सी. एल. टी. ने तब एक दीवानी मुकदमे का उल्लेख किया जो अपीलार्थी (यानी 29.06.2017 पर) द्वारा आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत नोटिस जारी किए जाने के एक सप्ताह बाद निगमित देनदार द्वारा 06.07.2017 पर दायर किया गया था। सूट में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ थीं:

" क) प्रथम प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से जारी किए गए नोटिस/पत्रों 30.09.2006,22.01.2013,30.06.2013,31.03.2014 और 30.09.2014 को अमान्य घोषित करना और वादी को बाध्य नहीं करना,

ख) दूसरे प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करें। दिनांकित कथित पत्रों/नोटिसों के आधार पर वादी पर भरोसा करना या उसके खिलाफ दावा करना 30.09.2006,22.01.2013,30.06.2013,

31.03.2014 और 30.09.2014 "।

एन. सी. एल. टी. ने आगे कहा कि मुकदमा कंपनी का दायित्व की स्वीकृति से बाहर निकलने का एक हताश प्रयास था जो था

देय, और "दुर्भावनापूर्ण, धोखाधड़ी और शरारती" प्रतीत होता है।

5. श्री रितिन राय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

अपीलार्थी, हमें सूचित करता है कि यह मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया है। हमें सूचित किया जाता है कि मुकदमे को फाइल में बहाल करने के लिए एक आवेदन है

लंबित है।

6. सीमा के बिंदु का उल्लेख करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने दिनांकित 30.09.2014 की पावती पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया,

जिसके परिणामस्वरूप, इसने याचिका को स्वीकार कर लिया और एक अंतरिम समाधान पेशेवर को नियुक्त किया और आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत रोक लगा दी। कॉरपोरेट देनदार (यानी हमारे सामने प्रतिवादी संख्या 2) के एक शेयरधारक द्वारा दायर अपील में, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

["एन. सी. एल. ए. टी".] ने कर्मचारी भविष्य निधि [2021] 2 एस. सी. आर. द्वारा एक पत्र का उल्लेख किया।

निधि संगठन ने 13.04.2016 को दिनांकित किया और कहा कि अपीलार्थी के दावे का निपटारा उस पत्र के परिणामस्वरूप किया गया है। यह तब, एक गुप्त तरीके से, सीमा के बिंदु पर चला गया और दर्ज किया गयाः

" 7. प्रत्यर्थी-('परिचालन लेनदार') ने स्वयं दलील दी है कि वेतन 1998 से देय है जिसका भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन 1998 से 2016 की अवधि के लिए वेतन के बकाया का दावा करने में देरी हुई है।

समझाया नहीं गया।

***

9. वर्तमान मामले में जैसा कि हम पाते हैं कि एक 'अस्तित्व' है

वेतन के बकाया के बारे में विवाद और प्रतिवादी 1998 से 2016 (लगभग 18 साल की देरी) के बाद से किए जाने वाले कथित बकाया के दावे में देरी की व्याख्या करने में भी विफल रहा है, हम मानते हैं कि प्रतिवादी द्वारा धारा 9 के तहत आवेदन नहीं किया गया था।

बनाए रखने योग्य "।

7. इन कारणों से, इस तथ्य सहित कि एन. सी. एल. ए. टी. के अनुसार, एक विवाद उठाया गया है, एन. सी. एल. ए. टी. ने माना कि एन. सी. एल. टी. मामले को स्वीकार करने में गलत था, और इस प्रकार अपील की अनुमति दी और एन. सी. एल. टी. के आदेश को दरकिनार कर दिया।

8. श्री राय, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

वेतन 01.01.2000 से अपीलार्थी को सेवा से मुक्त किए जाने की वास्तविक तिथि तक। दूसरा 30.06.2013 दिनांकित एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि "खातों का निपटान किया जाएगा" क्योंकि अपीलार्थी अब सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था। उन्होंने आई. डी. 1 दिनांकित तीसरे पत्र पर जोर दिया, जिसमें 1998 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक देय राशि की सटीक सूची संलग्न की गई थी, जो लगभग रु। 1. 06 करोड़। के अनुसार वह, इन सभी पावती से पता चलेगा कि देय राशि और

अपीलार्थी को देय राशि को सीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है। समान रूप से, कर्मचारी निधि संगठन का पत्र केवल एक लाल-हेरिंग है, और इसका इस मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है, और यह स्पष्ट है कि दायित्व की स्वीकृति को देखते हुए, किसी भी "विवाद" का कोई सवाल ही नहीं है। इसके विपरीत, यह रुपये की मूल राशि स्वीकार की गई। 1. 06 करोड़ रुपये अपीलार्थी को देय हैं।

9. प्रत्यर्थी कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन ने तर्क दिया है कि 2015 में एक नए प्रबंधन ने कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपीलार्थी को देय राशि न तो एन. सुब्रमण्यन बनाम थी।

मेसर्स अरुना होटल्स लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निगमित देनदार की वार्षिक रिपोर्टों में और न ही 27.07.2015 की नियत परिश्रम रिपोर्ट में परिलक्षित होता है। रिपोर्ट के पढ़ने से, उसके अनुलग्नकों के साथ, जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि 77 कर्मचारियों पर विभिन्न राशियों का बकाया था, जिसे नए कर्मचारियों द्वारा भुगतान करने का वादा किया गया था।

प्रबंधन। इसकी अनुपस्थिति से जो बात स्पष्ट है, वह है उपरोक्त अनुलग्नकों में अपीलार्थी का नाम, और इसलिए, श्री के अनुसार।

परासरन, अपीलार्थी पर कोई राशि बकाया नहीं थी। किसी भी मामले में, उन्होंने तर्क दिया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने तथ्यों की सही सराहना की, और अपीलार्थी स्पष्ट रूप से समय-वर्जित है। एक वैकल्पिक तर्क के रूप में, यदि न्यायालय को एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को दरकिनार करना है, तो उसे सुनवाई के लिए यह बताना चाहिए कि क्या एन. सी. एल. टी. धारा 9 याचिका को स्वीकार करने में गुण-दोष के आधार पर सही था।

10. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, जो बात स्पष्ट हो जाती है वह यह है कि अंतिम पावती की तारीख से यानी।

30.09.2014 जिस तारीख को एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिका दायर की गई थी, यानी 27.07.2017, उस तारीख तक तीन साल नहीं बीत चुके हैं। इसलिए, कम से कम कॉर्पोरेट ऋणदाता के तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा की गई स्वीकृति की सीमा तक, 30.09.2014 से पहले कम से कम 3 साल की अवधि के लिए देय वेतन का बकाया निश्चित रूप से सीमा के भीतर होगा, और

अतः अपीलार्थी को देय। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा धारा 9 के आवेदन को स्वीकार करने में एन. सी. एल. टी. का निर्णय सही है। श्री राय ने सही ढंग से बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि पत्र दिनांक 13.04.2016 केवल एक लाल-हेरिंग था, और इसका वेतन के बकाया से कोई लेना-देना नहीं है जिसका भुगतान किया जाना था। यह स्पष्ट है कि दायित्व की स्वीकृति है, जो इसलिए दर्शाता है कि अपीलार्थी को देय राशियों के बारे में कोई "विवाद" नहीं है। विवादित एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को तदनुसार दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, एन. सी. एल. टी. के फैसले को फाइल में बहाल कर दिया जाता है। श्री परासरन के वैकल्पिक तर्क को भी इस निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

11. इस प्रकार अपील की अनुमति है।

सिविल अपील डायरी नं. 34841 2018 का नागरिक

आवेदन डायरी सं। 34836 2018 और सिविल अपील डायरी सं। 34839 2018 का

12. दीवानी अपील दायर करने की अनुमति अस्वीकार कर दी जाती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान